

मिर्गी रोगियों के लिए लायंस क्लब में शिविर आयोजित

जोधपुर, (नि.सं.)। हरमाह आयोजित होने वाले निःशुल्क मिर्गी शिविर की 329 वीं कड़ी का आयोजन श्रीधर शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में लायंस क्लब में किया गया। इस कैंप का उद्घाटन कवि और मोटिवेशनल स्पीकर डॉ राम अकेला और समाजसेवी, शहर काजी मोहम्मद तय्यब अंसारी ने किया।

श्रीधर शिक्षण संस्था की सचिव डॉ.पद्मजा शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर डॉ. राम अकेला ने मरीजों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ठामीण क्षेत्र में इन मरीजों का इलाज भोपा,झाड़ू फूंक से होते देखा जो मुझे पीड़ादायक लगता था और सोचता था इन मरीजों का इलाज कोई चिकित्सक करे तो इनको बीमारी से भी छुटकारा मिले और मरीज को अपना इलाज करवाने में कष्ट भी नहीं झेलना पड़े। पिछले 27वर्षों के डा नगेंद्र शर्मा के इस भागीरथी प्रयासों ने मिर्गी रोग के बारे में फैली अंधविश्वास की धारणा को पूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल रहे। आज इन मरीजों से बात करने पर पता चला कि गांवों के स्वयं भोपे भी अपने परिवारजन का इलाज यहां करवा रहे हैं ।ये इस बात का सबूत है कि अब मिर्गी रोग एक अंधविश्वास नहीं बल्कि विश्वास के साथ इलाज करवाकर स्वस्थ होने वाली बीमारी है।

ये इन कैंपों की बड़ी सफलता है। इसके लिए मैं डा नगेंद्र शर्मा और टीम को बधाई देता हूं। इस अवसर पर समाजसेवी ,शहर



जोधपुर में मिर्गी शिविर का आयोजन श्रीधर शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में लायंस क्लब में किया।

काजी मोहम्मद तय्यब अंसारी ने कहा कि इन कैंपों में गांधीवादी धारणा नजर आ रही है जहां केवल मरीजों की सेवा सर्वोपरि है। सभी वर्गों के मरीजों को उच्चव्‍यस्‍तरीय निःशुल्‍क इलाज मुहैया करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गांधीजी ने कहा था सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा होती है जिसमें कोई वर्ग विशेष नहीं और समदृष्टि से सभी मरीजों का इलाज किया जाता है । ये इन कैंपों की बड़ी विशेषता है कि 27 वर्ष से लगातार मिर्गी रोगियों की निशुल्क चिकित्सा के साथ इनके जीवन में एक नया उत्साह पैदा करना और इनके सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन से इनको मिर्गी से मुक्त ही नहीं किया जा रहा बल्कि इनके रोजगार की

व्यवस्था कर इनको डिप्रेशन से बाहर लाकर समाज की मुख्यधारा में सामान्य नागरिक जीवन जीने का सम्मान देना एक बड़ा कार्य इन कैंपों में किया जा रहा है।

डॉ नगेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्षों पूर्व जब एक गरीब मरीज अपना इलाज करवाने जंजीरों में बंधा हुआ आया और परिजनों ने कहा कि इसमें प्रेतात्मा आती है इसलिए इसको जंजीरों में बांधकर रखते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे पास पास इलाज और डॉक्टर की फीस के पैसै नहीं है तो उसका निशुल्क इलाज करने के बाद मुझे खयाल आया कि क्यों ना कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि जिससे गरीब मरीजों का निशुल्क इलाज

हो सके । इसी प्रेरणा से मुझे ये निशुल्क कैंप करने की योजना सूझी जो 27 वर्षों से जारी है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं जो लगातार मेरे साथ इस पुण्य काम में निस्वार्थ सेवाएं दे रही है।

डॉ. नगेंद्र शर्मा ने बताया कि आज शिविर में 319 मरीजों का परीक्षण कर दवा का वितरण किया गया ।अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया क्योंकि कैंप में आकर उन्होंने मरीजों का हौसला अफजाई की।

शिविर संयोजक किशन प्रजापत और महावीर शर्मा के अलावा कमलेश व्यास, महेंद्र गौड़ ,वंदना राठौड़ ,के.एन खत्री, पुष्पराज, दीपक सिंह ,कृष्ण गंग, नेमीचंद शर्मा, हरीश शर्मा और छायाकार दिनेश पुरी ने सेवाएं दीं।

हादसे में दो जनों की मौत

जोधपुर, (कासं.)। शहर में हुए हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने कार्रवाई के उपरांत शव परिजन को सुपुर्द किए।

चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड पुलिस ने बताया कि सुभाष नगर, शास्त्रीनगर क्षेत्र में रहने वाली लीला देवी पत्नी बाबूलाल भाट ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसका पुत्र 32 वर्षीय गोपाल शराब के नशे में था। वह अशोक उद्यान के सामने से निकल रहा था और नीचे गिरने पर घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कार्रवाई कर परिजन के सुपुर्द किया।

दुसरी तरफ लूणी थाने में दी रिपोर्ट में खेजडली कला निवासी भंवरनाथ पुत्र सोनाराम जोगी ने पुलिस को बताया कि उसका भाई खेजडली कलां गांव की सरहद में निकल रहा था। तब किसी वाहन चालक ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में उसका भाई घायल हो गया । लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया मगर बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

विभिन्न श्रेणियों में विजेता खिलाड़ियों को उनके शाहदार प्रदर्शन के लिए पदक प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम ने न केवल दिव्यांग खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाया, बल्कि समाज के सामने यह संदेश भी सशक्त रूप से पहुंचाया कि शारीरिक सीमाएं प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के आगे बाधा नहीं हैं।

रोजगार सहायता शिविर में 200 युवाओं का चयन

बाड़मेर, (नि.सं.)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोजगार विभाग की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 700 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर समाजसेवी रमेशसिंह इंदाने युवाओं से स्वरोजगार से जुड़ने का आहवान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप वोकल फोर लोकल को बढ़ावा देने एवं आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के निर्माण में युवा सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवा जागरूक होकर इन योजनाओं का अधिकाधिक फायदा उठाएं। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर एवं समाजसेवी मूलसिंह जुड़िया ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आा न किया। जिला रोजगार अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि शिविर में गोदारा इंफ्रा प्रा.लि., पेरिनियल टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., जी.डी. गोयनका हेल्थ केयर, भारत संचार निगम लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरंस, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, भारत फाइनेंशियल इन्क्लुजन लिमिटेड, बिडियासर इंजीनियरिंग वर्क्स सहित 20 से अधिक निजी कंपनियों ने भाग लिया।

मोहनगढ़के दोहरे हत्याकांड के मुख्य सरगना सहित दो आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर, (नि.सं.)। जिले के मोहनगढ़ जिले में दोहरे हत्याकांड के मुख्य सरगना सहित दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संबंध में 21 अक्टूबर को पंकज कुमार सारस्वत ने रिपोर्ट पेश की कि मेरे पिता मदनलाल सारस्वत व उनके मुनीम रंवरताराम ने 20 तारीख की राति मे अज्ञात आरोपियों द्वारा धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर रुपये व मेरे पिताजी की अल्टो कार लेकर फरार हो गये हैं। वगैरा रिपोर्ट पर पुलिस थाना मोहनगढ मे प्रकरण दर्ज कर त्वरित अनुसंधान शुरू किया गया।

प्रकरण की वारदात की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे द्वारा तुरंत घटनास्थल पहुंच घटनास्थल का जायजा लेकर एसआईटी का गठन कर प्रवीण कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्रसिंह चम्पावत वृताधिकारी वृत नाचना, भवानीसिंह वृताधिकारी वृत पोकररा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मोहनगढ नाथुसिंह को विशेष दिशा निर्देश दिये जाकर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। निर्देशों को पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण के नेतृत्व में भुटाराम निपु थानाधिकारी पुलिस थाना नाचना, अमराराम निपु थानाधिकारी पुलिस थाना फलसुण्ड, मुकेश कुमार बीरा सडनि पुलिस थाना सदर व भीमराव सिंह हैडकानि प्रभारी टेक्नीकल टीम द्वारा आपस में सामंजस्य स्थापित कर आसूचना संकलन, तकनीकी आधार कार्य करते हुए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में लगातार बंदिश कर पूर्व में आरोपियों को नामजद कर घटना में शामिल एक आरोपी गुरप्रीत को दस्तयाब कर बाद पृछताछ गिरफ्तार किया जाकर आरोपी की निशान देही से लूटी गई गाड़ी अल्टो कार को बरामद

को देखाई है। न्यायालय ने पाया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है और वह याचिकाकर्ता के साथ जाना नहीं चाहती। युवती की इच्छा स्पष्ट होने के बाद कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका का कोई आधार नहीं बनता। इस पर याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 25 हजार रुपए की राशि जब्त कर ली।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि इस जल्द की गई राशि को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए, जो साधु ने रोका। और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जोओ अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि तुम्हारे पले में पहना हुआ धागा तो मंत्र कर देता हूं जीवन में आनंद हो जाएगा। वृद्ध ने धागा खोलकर दिया। जिसे मंत्र कर आरोपी

पिता ने उसे जबर्न अपने पास नहीं रोका है, बल्कि वह स्वेच्छा से उनके साथ रहना चाहती है।

युवती के बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि युवती अपने माता-पिता की गैरकानूनी हिरासत में नहीं है। न्यायालय ने पाया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है और वह याचिकाकर्ता के साथ जाना नहीं चाहती। युवती की इच्छा स्पष्ट होने के बाद कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका का कोई आधार नहीं बनता। इस पर याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 25 हजार रुपए की राशि जब्त कर ली। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि इस जल्द की गई राशि को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए, जो साधु ने रोका। और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जोओ अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि तुम्हारे पले में पहना हुआ धागा तो मंत्र कर देता हूं जीवन में आनंद हो जाएगा। वृद्ध ने धागा खोलकर दिया। जिसे मंत्र कर आरोपी

पिता ने उसे जबर्न अपने पास नहीं रोका है, बल्कि वह स्वेच्छा से उनके साथ रहना चाहती है।

युवती के बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि युवती अपने माता-पिता की गैरकानूनी हिरासत में नहीं है। न्यायालय ने पाया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है और वह याचिकाकर्ता के साथ जाना नहीं चाहती। युवती की इच्छा स्पष्ट होने के बाद कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका का कोई आधार नहीं बनता। इस पर याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 25 हजार रुपए की राशि जब्त कर ली।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि इस जल्द की गई राशि को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए, जो साधु ने रोका। और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जोओ अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि तुम्हारे पले में पहना हुआ धागा तो मंत्र कर देता हूं जीवन में आनंद हो जाएगा। वृद्ध ने धागा खोलकर दिया। जिसे मंत्र कर आरोपी

भीनमाल, सांचौर कारागाह-वात्सल्य होम का निरीक्षण

जालोर, (कासं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हाऊन के निर्देशन में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला-सेशन न्यायाधीश अहसान अहमद ने उप कारागृह भीनमाल, सांचौर तथा वात्सल्य चिल्ड्रन होम रानीवाड़ा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने कारागृहों में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बंदियों को कहा कि यदि किसी बंदी की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त नहीं है, तो वह निशुल्क विधिक सहायता पाने का हकदार है। इसके लिए उसे संबंधित कारागृह के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति में भेजना होगा। उन्होंने कहा कि जिन बंदियों की पैरवी के अधिवक्ता नियुक्त नहीं है उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए उन्होंने आवेदन करने का तरीका बताया। उन्होंने बंदियों को नशा नहीं करने की बात कही और नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बंदियों को लोक अदालत के फायदों के बारे में भी बताया। इस दौरान उन्होंने अन्य कानूनों के बारे में भी जानकारी दी। इसी प्रकार अहमद ने रानीवाडा में आत्मानंद सेवा संस्थान



जालोर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश अहसान अहमद ने भीनमाल कारागाह का निरीक्षण किया। फोटो-राष्ट्रदूत

की ओर से संचालित वात्सल्य चिल्ड्रन होम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बालकों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बालकों से वार्तालाप कर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने

बालकों के रहने के कक्षों, कक्षों में उपलब्ध सुविधाओं की भी जांच की। उन्होंने रसोई घर का भी निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता देखी। ऋषभ आचार्य, भंवरलाल, अधीक्षक डिपल आचार्य आदि मौजूद रहे।

पैरा खेल महोत्सव में दिव्यांगों ने दिखाया उत्साह

बाड़मेर, (नि.सं.)। मुख्यमंत्री की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के तहत दिव्यांगों को संबल प्रदान करने एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुगम्य बाड़मेर अभियान के तहत बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को पैरा खेल महोत्सव आयोजित किया गया।

इस अवसर पर जिला कलक्टर टीना डाबी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पैरा गेम्स आयोजन के जिरिएदिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुगम्य बाड़मेर अभियान दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त समाज में उनकी साार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने की एक अभिनव पहल है। इसके तहत दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ, चिकित्सा सेवाएं, अस्पताल में दिव्यांग सेवा मंदिर, सहायक उपकरण और आब खेद के माध्यम से सम्मानजनक मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला कलक्टर ने कहा कि यह पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांग साधियों के प्रति हमारी

सामूहिक जिम्मेदारी और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहली मर्तवा यह आयोजन किया गया है। आगामी समय में इसके बेहतररीन आयोजन का प्रयास किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इससे पहले जिला कलक्टर ने पैरा खेल महोत्सव की विधिवत शुरूआत करते हुएखिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान समाजसेवी रमेशसिंह इंद्रा, मूलसिंह जुड़िया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेन्द्र प्रतापसिंह भाटी समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस खेल महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया।

वार्षिक पैरा खेल महोत्सव में 156 दिव्यांग खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया। इसमें जोधपुर, फलोदी, नागौर और बीकानेर जिलों के प्रतिभागी भी शामिल थे। इस दौरान 100 मीटर दौड़,

200 मीटर दौड़, गोला फेंक, तश्तरी फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेल महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बाड़मेर के उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर को आयोजन का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों के पंजीकरण और व्हीलचयर जैसी विशेष आवश्यकताओं की व्यवस्था सुनिश्चित की। शिक्षा और खेल विभाग ने तकनीकी रूपरेखा, उपकरण और रेफरी की व्यवस्था की, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने आयोजन स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराईं।

विभिन्न श्रेणियों में विजेता खिलाड़ियों को उनके शाहदार प्रदर्शन के लिए पदक प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम ने न केवल दिव्यांग खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाया, बल्कि समाज के सामने यह संदेश भी सशक्त रूप से पहुंचाया कि शारीरिक सीमाएं प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के आगे बाधा नहीं हैं।

बिरसा मुंडा की जयंती पर कई कार्यक्रम होंगे

बाड़मेर, (नि.सं.)। भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयन्ती जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर आगामी 1 से 15 नवंबर तक जिले में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे।

जिला कलक्टर टीना डाबी ने गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और निधारित दायित्वों का सुचारु निर्वहन कर कार्यक्रमों के सफल आयोजन के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा जयन्ती कार्यक्रमों के तहत चित्रकला प्रतियोगिता एवं श्रेष्ठ कलाकृतियों का प्रदर्शन, जनजाति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, प्रभात फेरी, जनजाति धरोहर से संबंधित भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता तथा जनजाति उत्पादों का प्रदर्शन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से की जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा की और कार्यक्रमों की समय पर तैयारियां पूर्ण कर बेहतर तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार ने विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर को जनजाति छात्रावासों में जनजाति संस्कृति, परम्परा एवं कला विषयक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 2 नवंबर को आयोजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से लाभ सन्तुष्टि शिविर, 3 नवंबर को सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा में भगवान बिरसा मुण्डा की जीवनी की जानकारी देने एवं निबंध, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता तथा 4 को महाविद्यालयों

में भगवान बिरसा मुण्डा पर भाषण, निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की ओर से 7 नवंबर को कृषकों की संगोष्ठी का आयोजन तथा विभागीय गतिविधियों, योजनाओं एवं भगवान बिरसा मुण्डा की जीवनी पर प्रकाश डालने से संबंधित कार्यक्रम होंगे। 8 नवंबर को राजीविका के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। 9 को आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में भगवान बिरसा मुण्डा की भाषण, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 10 नवंबर को जनजाति जीवन एवं भारतीय संस्कृति के विशेष संदर्भ में भारतीय ज्ञान परम्परा में प्रकृति विषयक संगोष्ठी तथा 11 को आंगनबाड़ी केंद्रों पर जयन्ती कार्यक्रम, महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी।

इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12 नवंबर को ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से शहरों में चौराहों, पार्कों, सड़कों के भगवान बिरसा मुण्डा एवं अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर नामकरण व राजकीय भवनों एवं चौराहों पर तीन दिवसीय रोशनी की जाएगी। 14 नवंबर को जिले के सिनेमाघरों में जनजाति महापुरुषों, स्वतंत्रता सैनानियों एवं सतों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन तथा जिला स्तर पर विविध गतिविधियों एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि 15

नवंबर को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन, सेवा शिविरों में अवशेष पट्टों का वितरण, शोभा यात्राओं का आयोजन, राष्ट्रीय स्तरीय मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण तथा समस्था समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर नगरीय क्षेत्रों में शोभा यात्रा का आयोजन, सभागार बैठक एवं सम्मेलन तथा राष्ट्रीय स्तरीय मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसी तरह जिला स्तरीय कार्यक्रम में शोभायात्रा का आयोजन तथा चौराहों एवं राजकीय भवनों पर रोशनी, जिला स्तरीय प्रदर्शनी, भगवान बिरसा मुण्डा एवं जनजाति स्वतंत्रता सैनानियों की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि, जिला स्तरीय सम्मेलन एवं सभागार बैठक, लाभार्थी संतुष्टि शिविरों तथा हाट का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला स्तरीय चिकित्सा शिविर एवं जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

पेंशनर्स के लिए निर्देश

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 134 के अनुसार कोलारथ बाड़मेर से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त राज्य पेंशनर्स एवं परिवारिक पेंशनर्स प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 से 30 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

कोषाधिकारी जसरज चौहान ने बताया कि पेंशनर्स को पूर्ण भरा हुआ जीवन प्रमाण पत्र संबंधित विभागीय अधिकारी या विनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित करवाकर पेंशन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

रायचंद जैन ने बताया कि उनके गले में पहनी सोने की चैन करीब 5 तोला की थी। जिसका बाजार भाव 5 लाख रुपए से ज्यादा है। मैंने तो साधु समझकर विश्वास किया। पता होता कि चैन लेकर भाग जाएंगे तो देता ही नहीं। मामले में कोतवाली थाने के जसवंत सिंह ने कहा कि घटना के अधीनस्थ कार्मिकों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। जिला कलक्टर ने पदयात्रा के माध्यम से सम्पादित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अलग-अलग दायित्व सौंपे है।

बाड़मेर, (नि.सं.)। केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल विभाग के निर्देशों को साधु ने रोका। और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जोओ अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि तुम्हारे पले में पहना हुआ धागा तो मंत्र कर देता हूं जीवन में आनंद हो जाएगा। वृद्ध ने धागा खोलकर दिया। जिसे मंत्र कर आरोपी

पिता ने उसे जबर्न अपने पास नहीं रोका है, बल्कि वह स्वेच्छा से उनके साथ रहना चाहती है।

युवती के बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि युवती अपने माता-पिता की गैरकानूनी हिरासत में नहीं है। न्यायालय ने पाया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है और वह याचिकाकर्ता के साथ जाना नहीं चाहती। युवती की इच्छा स्पष्ट होने के बाद कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका का कोई आधार नहीं बनता। इस पर याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 25 हजार रुपए की राशि जब्त कर ली।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि इस जल्द की गई राशि को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए, जो साधु ने रोका। और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जोओ अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि तुम्हारे पले में पहना हुआ धागा तो मंत्र कर देता हूं जीवन में आनंद हो जाएगा। वृद्ध ने धागा खोलकर दिया। जिसे मंत्र कर आरोपी

पिता ने उसे जबर्न अपने पास नहीं रोका है, बल्कि वह स्वेच्छा से उनके साथ रहना चाहती है।

युवती के बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि युवती अपने माता-पिता की गैरकानूनी हिरासत में नहीं है। न्यायालय ने पाया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है और वह याचिकाकर्ता के साथ जाना नहीं चाहती। युवती की इच्छा स्पष्ट होने के बाद कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका का कोई आधार नहीं बनता। इस पर याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 25 हजार रुपए की राशि जब्त कर ली।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि इस जल्द की गई राशि को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए, जो साधु ने रोका। और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जोओ अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि तुम्हारे पले में पहना हुआ धागा तो मंत्र कर देता हूं जीवन में आनंद हो जाएगा। वृद्ध ने धागा खोलकर दिया। जिसे मंत्र कर आरोपी

रन फॉर यूनिटी एवं पदयात्रा आज

बाड़मेर, (नि.सं.)। केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल विभाग के निर्देशों को साधु ने रोका। और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जोओ अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि तुम्हारे पले में पहना हुआ धागा तो मंत्र कर देता हूं जीवन में आनंद हो जाएगा। वृद्ध ने धागा खोलकर दिया। जिसे मंत्र कर आरोपी

पिता ने उसे जबर्न अपने पास नहीं रोका है, बल्कि वह स्वेच्छा से उनके साथ रहना चाहती है।

युवती के बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि युवती अपने माता-पिता की गैरकानूनी हिरासत में नहीं है। न्यायालय ने पाया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है और वह याचिकाकर्ता के साथ जाना नहीं चाहती। युवती की इच्छा स्पष्ट होने के बाद कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका का कोई आधार नहीं बनता। इस पर याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 25 हजार रुपए की राशि जब्त कर ली।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि इस जल्द की गई राशि को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए, जो साधु ने रोका। और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जोओ अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि तुम्हारे पले में पहना हुआ धागा तो मंत्र कर देता हूं जीवन में आनंद हो जाएगा। वृद्ध ने धागा खोलकर दिया। जिसे मंत्र कर आरोपी